FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

रुगनाथराम वगैरा बनाम चम्भाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 145/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/10/2018	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/11/2018 को पेश हो।	[signature]
14/11/2018	वादी वकील उपस्थित/ प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 21/02/19 को पेश हो। [initials]	
21/02/19	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 06/05/19 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:24:42 IST
Reason: SelfAttested

ख हुक्म

31/08/2020

06/05/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील फर्द तामील अप्राप्त। चूंकि पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 05/08/2019 को पेश हो।

05/08/2019 वादी वकील व प्रतिवादी संख्या-1 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया, फाईल पेश करना चाहते हैं। चूंकि पीठा- धर्माराम सीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/11/2019 को पेश हो।

27/11/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 11/03/20 को पेश हों।

11/03/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 03/06/2020 को पेश हों।

03/06/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 28/07/20 को पेश हों।

28/07/20 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 31/08/20 को पेश हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:24:42 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/08/2020	वादी वकील व वादीगण एवम प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 एवं PW-1- रुगनाथराम पुत्र श्री धर्माराम जाति-जाट निवासी-किशने का तला, बायतू व प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 DW-1- धर्माराम पुत्र पेमाराम जाति-जाट निवासी किशने का तला, बायतू के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगणों से कोई इन्द्राज नहीं चाही गई है जिनको तर्क किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26/10/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	राजूराम रुगनाथराम पुगाराम किशनाराम धर्माराम
26/10/2020	वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन उक्त विवादित आराजी पैतृक साबित होती है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:24:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 145/2018

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. रूगनाथराम पुत्र धर्माराम 2. दुर्गाराम पुत्र धर्माराम 3. राजूराम पुत्र धर्माराम 4. रिणछाराम पुत्र धर्माराम जाति–जाट, निवासी–किशने का तला, बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. धर्माराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवारी–किशने का तला, बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बाटाडू 3. तहसीलदार, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांक - 26/10/2020

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा किसने का तला पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1838, 1954/1806, 1960/1830, 1965/1826 रकबा क्रमशः 16.11, 49.10, 20.03, 46.10 बीघा व मौजा उमाणियों डऊकियों की ढाणी पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1917/1791, 1920/1860 रकबा क्रमशः 10.02, 01.00 बीघा की आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज पेमाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण [illegible] वादी साक्ष्य के रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:24:42 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 1 स्वयं PW-1 रूगनाथराम पुत्र धर्माराम तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 धर्माराम पुत्र पेमाराम के शपथ पत्र पेश किये गये।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा पेमाराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण पेमाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा किसने का तला पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1838, 1954/1806, 1960/1830, 1965/1826 रकबा क्रमशः 16.11, 49.10, 20.03, 46.10 बीघा व मौजा उमाणियों डऊकियों की ढाणी पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1917/1791, 1920/1860 रकबा क्रमशः 10.02, 01.00 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:24:42 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. रूगनाथराम पुत्र धर्माराम 2. दुर्गाराम पुत्र धर्माराम 3. राजूराम पुत्र धर्माराम 4. रिणछाराम पुत्र धर्माराम जाति–जाट, निवासी–किशने का तला, बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. धर्माराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी–किशने का तला, बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बाटाडू 3. तहसीलदार, बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–145 / 2018. **निर्णय दिनांक :–** 26/10/2020

वादी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/10/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा किसने का तला पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1838, 1954 / 1806, 1960 / 1830, 1965 / 1826 रकबा क्रमशः 16.11, 49.10, 20.03, 46.10 बीघा व मौजा उमाणियों डऊकियों की ढाणी पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1917 / 1791, 1920 / 1860 रकबा क्रमशः 10.02, 01.00 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:24:42 IST
Reason: SelfAttested